न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सी0एल0 शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 30 / 2012

प्रविष्टि दिनांक – 29.03.2012

उनवान

1. मेहरजहां पुत्री रब्बू खां उर्फ मिश्री खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला तालकटोरा टोंक जिला टोंक राज0
2. हुस्नजहां पुत्री रब्बू खां उर्फ मिश्री खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला तालकटोरा टोंक जिला टोंक राज0
3. रूखसीजहां पुत्री रब्बू खां उर्फ मिश्री खां जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला तालकटोरा टोंक जिला टोंक राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमरजहां पुत्री रब्बू खां उर्फ मिश्री खां पत्नी मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान निवासी आदर्श नगर देवली रोड टोंक जिला टोंक राज0
2. श्रीमती मंजूलता गुप्ता धर्मपत्नि श्री सत्यनारायण गुप्ता जाति महाजन निवासी शिव मंदिर के पास सिविल लाईन टोंक जिला टोंक राज0
3. श्रीमति शकुन्तला जैन पत्नि श्री नाथूलाल जैन निवासी बड़ा तख्ता टोंक जिला टोंक राज0
4. सत्यनारायण गुप्ता पुत्र रामजस गुप्ता जाति महाजन निवासी शिव मंदिर के पास सिविल लाईन टोंक जिला टोंक राज0
5. श्रीमति प्रमोद कुमार पत्नि रमेश चन्द गुप्ता निवासी न्यू जवाहर कॉलोनी बजरिया जिला सवाई माधोपुर राज0
6. श्रीमति मधु जैन पत्नि हनुमान प्रसाद जैन निवासी सर्राफ मार्केट निवाई तह0 निवाई जिला टोंक राज0
7. श्रीमान् तहसीलदार साहब टोंक

अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री.शराफत अली– अभिभाषक प्रार्थीगण

श्री.कैलाश अहलूवालिया..– अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

दावा बाबत–दुरूस्ती इन्द्राज, उद्घोषणा बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :– 31/01/2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत दुरूस्ती ईन्द्राज, उद्घोषणा बछवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगणा 1 ता 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की उक्त अराजी ख.नं. हाल 6514 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, जिसके साबिक ख.नं. 6018 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, वाके कस्बा शर्की टोंक में स्थित है मे प्रार्थीयागण के कब्जे काश्त में किसी प्राकर की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे ना ही करावें तथा अप्रार्थीगण 1 ता 6 राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण सं0 1 की और से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषधाज्ञा का जवाब प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी के पूर्व खातेदार साहिबा बेगम पुत्री मेहबुल्ला खां. ने विवादित आराजीयात को नूर जहां पत्नि रब्बू खां को जुबानी वसीयत यह कहकर की थी कि मुझे यह जमीन कमरजहां जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है व चाहती है, को देना है इस कारण विवादित आराजीयात कों खातेदार नें जुबानी हिबा के आधार पर नूरजहां पत्नि मिश्री खां उर्फ रब्बू खां द्वारा अपनी अन्य सन्तानों को अन्य सम्पत्ति देकर विवादित आराजीयात की खातेदार साहिबा

धिकारी
ाज.)

Scanned by CamScanner

बेगम के जुबानी हिबा के अनुसार विवादित आराजीयात कमर जहां को दान की थी, जिसकी रूह से कमर जहां इस विवादित भूमि की एक मात्र मालिक, काबिज व स्वामी हुई थी, इस बाबत अंकित किये गये दस्तावेज पर मिश्री खां उर्फ रब्बू खां के हस्ताक्षर बतौर गवाहान अंकित किये गये। विवादित आराजियात प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 नें प्रतिपक्षी सं0 1 कमरजहां से जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र 3,00,000/– रूपये नकद अदा कर रूवरू गवाहान दिनांक 09.04.2008 को खरीद कर वास्तविक कब्जा प्राप्त किया था। जिसके जरिये प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 इस भूमि पर बहैसियत खातेदार, काश्तकार चले आ रहे थे तथा जिसे बाद में नियमानुसार दिनांक 14.05.2010 को प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बाद प्राप्ति विक्रय राशि प्रतिपक्षी सं0 5 व 6 कों विवादित आराजीयात का कब्जा सुपुर्द कर दिया है, जिसके तहत प्रतिपक्षी सं0 5 व 6 के हक में राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण भी तस्दीक किया जाकर बहैसियत खातेदार जमाबन्दी में अंकित किया जा चुका है। जहां तक विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2008 एवं हिबानामा व वसीयत तथा इसके बाद कराया गया विक्रय पत्र बहक प्रतिपक्ष सं0 5 व 6 का प्रश्न है, तो उसे आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त दस्तोजात को खारिज नही कर दिया जाता है, तो तब तक यह प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है एवं खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का माननीय न्यायालय कों क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नही है, क्योकि जहां तक विक्रयपत्र को नल एण्ड वोईड घोषित किये जाने का प्रश्न है, तो वह अधिकार केवल सिविल न्यायालय कों ही प्राप्त है, इस कारण भी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 उक्त आराजीयात के बोनाफाईड परचेजर विद कन्सिड्रेशन है, और अपने द्वारा प्रतिपक्षी सं0 5 व 6 को विवादित आराजीयात को बेचान किये जाने से पूर्व तक उक्त आराजीयात पर बहैसियत मालिक, स्वामी काबिज, काश्तकार चले आ रहे थे एवं इसके बाद से उक्त आराजीयात पर प्रतिपक्ष सं0 5 व 6 बहैसियत खातेदार, काश्तकार, काबिज है। नूर जहां नें दिनांक 25.02.1986 कों यह भूमि प्रतिपक्षी सं0 1 को वसीयत की थी, जिसकी पुनः तहरीर दिनांक 10.04.1998 कों प्रतिपक्षी सं0 1 के हक में तहरीर की गई। जिसकी रूह से प्रतिपक्षी सं0 1 उक्त भूमि की खातेदार, काबिज, काश्तकार मालिक हुई। इस प्रकार विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही है और ना ही उनका कोई सम्बन्ध है और ना ही इस आराजीयाता के सम्बन्ध में उनका कोई हक व अधिकार बनता है, फिर भी प्रार्थीगण जबरन उक्त भूमि प्रतिपक्षी गण के कब्जे, काश्त में मजाहमत करते है, इस कारण प्रार्थीगण को प्रथमतः प्रतिपक्षी सं0 1 के तत्पश्चात 2 व 3 के और अब वर्तमान प्रतिपक्षी सं0 5 व 6 के कब्जे, काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत, बेजा, करने का और कराने का कोई अधिकार नही है, इस कारण उन्हे वैकल्पिक रूप से प्रतिपक्ष गण के कब्जे, काश्त में मजाहमत न करने हेतु पाबंद किया जाना ना केवल उचित होता अपितु न्यायोचित एवं न्यायसंगत भी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस सिद्ध नही है और ना ही उनके हक में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति जैसे बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जा व खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। यह कि प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 नें प्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय नें पूर्व में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था। जिसमें प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 कों विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार, काबिज, काश्तकार मानते हुए उनके हक में प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण वादीगण को वाद के निर्णय तक पाबंद किया गया था कि वह प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 के कब्जे, काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत नही करें, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के न्यायालय नें अपील पेश की गई, जो भी माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा खारिज की गई। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई, जो भी खारिज हो गई है। जिससे प्रार्थीगण आज तक भी पाबंद है, क्योकि प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा आज भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र कतेई चलने योग्य नही है एवं इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नं0 196/2008 अ0 धारा 420, 120बी, 467, 468, 447, 471, भा0द0स0 में पुलिस थाना कोतवाली टोंक में प्रतिपक्षी सं0 1 व अन्य के विरूद्ध दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पुलिस थाना कोतवाली टोंक द्वारा एफ.

अधिकारी
राज.)

Scanned by CamScanner

आर. सं0 70/2008 दी जाकर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पेश की गई। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा नाराजगी पीटिशन पेश किये जाने पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा बहस सुनी जाकर पुलिस थाना कोतवाली टोंक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन सं0 70/08 जरिये आदेश दिनांक 14.01.2010 को स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा निगरानी याचिका अ0 धारा 397 द0प्र0स0 माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक में पेश की गई। जिसे भी माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश टोंक के न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2010 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार इस बात से यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रतिपक्षी सं0 1 द्वारा कोई फर्जी व जाली दस्तावेज बशक्ल वसीयत के रूप में तेयार नही की गई है, बल्कि प्रतिपक्षी सं0 1 के हक में जो वसीयत उसकी स्व0 माता नूरजहां द्वारा की गई थी, वह सही एवं वैध हे एवं प्रतिपक्षी सं0 1 के हक में विवादित भूमि का जो नामान्तरकरण खोला गया वह भी वैध है एवं उसी आधार पर प्रतिपक्षी सं0 1 ने प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 को उक्त आराजीयात का जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान किया गया है, इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार नही है एवं प्रतिपक्षी सं0 1 ही उक्त विवादित आराजीयात की एक मात्र वाजिब मालिक व स्वामी एवं काबिज काश्तकार थी एवं उसी आधार पर उसके द्वारा प्रतिपक्षी सं0 2 व 3 के हक में विक्रयपत्र पंजीयन कराया गया। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिपक्ष सं0 1 का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण मय हर्जा व खर्चा खारिज किया जावे एवं प्रतिपक्षी 1 को प्रार्थीगण से विशेष हर्जा व खर्चा दिलाया जावें।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में प्रार्थीगण ने फोटोप्रति इकरारनामा वसीयत दिनांक 10.04.98, फोटोप्रति वसीयत दिनांक 25.02.86, विक्रय पत्र बहक मन्जूलता व शकुन्तला दिनांक 09.04.2008, फोटोप्रति जमाबन्दी सम्वत 2062 से 65 बहक कमरजहां, फोटो प्रति आदेश टी.आई. सं0–35/08 दिनांक 18.06.2008, फोटो प्रति आदेश अपील सं. 98/08 दिनांक 06.05.10, आदेश एफ.आर. सं. 70/08 दिनांक 14.01.10, आदेश रिविजन सं. 5/2010 दिनांक 01.07.2010 प्रस्तुत किये एवं अप्रार्थीगण ने फोटाकॉपी जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057, फोटोकापी जमाबन्दी सम्वत 2066 प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। पक्षकारान के वादग्रस्त भूमि पर हक अधिकार एवं पैतृक सम्पत्ति संबंधी तथ्य साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है इस प्रकार उनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होगा। इसलिये यह न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2013 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned by CamScanner